FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

बनवारी लाल बनाम माडूराम आदि

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 569 सन् 2025 जीसीएमएस नं.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09-09-2025	रिपोर्ट सरिश्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्रीमती सन्तोष यादव उपस्थित। वकिल प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र टी0 आई0 में अंकित खसरा नम्बरान पर कैवियट दर्ज होने पर वकील कैवियटकर्ता उपस्थित। प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र टी0 आई0 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि कृषि भूमि हैं तथा प्रार्थी मूल वादपत्र में अपनी कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के सिद्वान्त पर बंटवारा करवाना चाहता हैं एवं जब तक प्रार्थी की कृषि भूमि का विधिक बंटवारा ना हो जाये तब तक वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने की कृपा करें। वकील कैवियटकर्ता ने वकील प्रार्थी की बहस के प्रत्युत्तर में दस्तावेजों की सूची कुल दस्तावेज 04 पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में बिना सम्परिवर्तन करवाये ही आवासीय प्रयोजनार्थ प्लाटिंग हो रखी हैं जिस कारण विवादित भूमि का बंटवारा किया जाना सम्भव नही है। प्रार्थना पत्र टी0 आई0 जारी नही करते हुए खारिज फरमाने की कृपा करें। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, पेशशुदा दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वादग्रस्त आराजी से संबंधित विभाजन का वाद उनवानी मुकेश कुमार बनाम माडूराम वगैरह मु0 सं0 268/2023 में न्यायालय हाजा द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांकित 28.09.2022 के आधार पर वादग्रस्त आराजी की उपयोगिता आवासीय प्रयोजनार्थ होने पर खारिज किया गया हैं। विवादित भूमि से संबंधित वादपत्र न्यायालय हाजा द्वारा खारिज किया जाने के उपरान्त उसी वादग्रस्त आराजी का पुनः उसी अनुतोष के साथ वादपत्र व प्रा0 पत्र टी0 आई0 पेश करना न्यायोचित नही हैं। अतः उक्त प्रकरण न्यायालय में वाद की बहुलता बढाने एवं धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता का पाया जाने पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है तथा बाद तकमील [illegible] दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:28:00 IST
Reason: SelfAttested